जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति — दिनांक-22.04.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुज्जरपुर में ईंट भट्टे पर हुई मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.04.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुज्जरपुर में ईंट भट्टे पर मारपीट, गाली गलौच की घटना हुई थी, जिसकी वीड़ियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री तारीफ पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम भड़ी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुज्जरपुर में ईंट भट्टे पर हुई मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को अवैध बंदूक व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.जावेद पुत्र यामीन निवासी ग्राम गुज्जरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध बंदूक मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 01.04.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 17 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1.सुफियान पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली हाल पता मौहल्ला खैलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 22.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में मादक पदार्थ तस्करी के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. वर्ष 2008 में अभियुक्त शकील पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला दरबार कलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 39/2008 धारा 18/20 NDPS ACT में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 22.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.शकील पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला दरबार कलां थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI